

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक  
पीठासीन अधिकारी—

शिव चरण मीना

आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

124 / 2022 / प्रा.पत्र / 2022

07.12.2022

13.03.2023

डॉ. मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
टोंक

.....आवेदक

बनाम

- 1—श्री पीयूष पुत्र श्री कमलेश जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स पीयूष प्रोविजन स्टोर सरोवर कॉलोनी  
सुभाष बाजार जिला टोंक निवासी सरोवर कॉलोनी सुभाष बाजार टोंक जिला टोंक  
2—श्री हर्ष गुप्ता पुत्र श्री कैलाश चन्द अटोलिया प्रोपरायटर मैसर्स यूनिवर्सल ट्रेडिंग कम्पनी  
ए-39 राजधानी कृषि उपज मण्डी रोड नं. 9 वीकेआई एरिया जयपुर राज.

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एवं दण्डनीय धारा 52

उपस्थित—

- 1—पैरोकार सरकार।  
2—अप्रार्थीगण के प्रतिनिधि उप।

:-निर्णय:-

दिनांक 13.03.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.08.2022 को समय 02:01 पी.एम पर मैसर्स पीयूष प्रोविजन स्टोर सरोवर कॉलोनी सुभाष बाजार जिला टोंक पर पहुँचा। वहाँ पर श्री पीयूष पुत्र श्री कमलेश जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री पीयूष जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा विक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थ के साथ सौंप साबुत श्री ब्राण्ड (Fennil Whole Shree Brand) प्लास्टिक के कट्टे में 500-500 ग्राम के 44 पॉली पैक रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री पीयूष जैन को फार्म न. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर बताकर कि यह सौंप साबुत श्री ब्राण्ड (Fennil Whole Shree Brand) जिसके बैच नम्बर अनुपस्थित एवं पैकिंग की दिनांक 19 जुलाई 2022 थी, वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु कय किया जा रहा है, 500-500 ग्राम के 4 पॉली पैक कुल 2 किलोग्राम खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।



आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा सौंप साबुत श्री ब्राण्ड (Fennil Whole Shree Brand) कुल 2 किलोग्राम के नियमानुसार चार भाग तैयार किए एवं चारों नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-3259 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-3259 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारो नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपड़ी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर नमूना कय करते समय श्री पीयूष जैन पुत्र श्री कमलेश जैन ने बतौर वारन्टी मैसर्स यूनिवर्सल ट्रेडिंग कम्पनी ए-39 राजधानी कृषि उपज मण्डी रोड नं. 9 वीकेआई एरिया जयपुर राज. का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ कय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/3304 दिनांक 19.09.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./2629/एक्ट/2022/2666 दिनांक 29.08.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु कय किया गया सौंप साबुत श्री ब्राण्ड (Fennil Whole Shree Brand) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) का उल्लंघन करने के कारण मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से उनके प्रतिनिधि उपस्थित हुए एवं बहस की एवं अपनी बहस में अप्रार्थीगण की ओर से जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। परोकार सरकार की बहस सुनी गई। परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस सौंप साबुत श्री ब्राण्ड (Fennil Whole Shree Brand) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थीगण के प्रतिनिधि एवं परोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया सौंप साबुत श्री ब्राण्ड (Fennil



Whole Shree Brand) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कार्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 28(2) की उप धारा 2(i) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अपराधीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अपराधीगण पर कुल शक्ति रुपये 10,000/- (अधारे दस हजार रुपये) आरोपित की जाती है। अभिगुप्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चातान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 13.03.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फौसल गुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय दिनांक 13.03.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(शिव बरत मीना)  
न्याय निमित्त न्यायाधीश एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
दो.क-राजठ